<u>न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर</u>

मुन्त. प्रा0 / 63 / 2017

1—भवरसिंह
2—रामदयाल **पुत्रगण रुपसिह जाति जाट निवासी नगला झामरा तहसील बयाना जिला भरतपुर**
3—बाबूलाल
4—साहबसिंह
5—रमेश

.......प्रार्थी

बनाम

1—श्री संतोष मीणा आर.एस.एस हाल पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी बयाना
2—कृषिसिह पुत्र सावधान जाति जाट निवासी नौरगपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा उ0प्र0 हाल निवासी जय साफट ट्रेनिंग सैन्टर के पास मकान न. 288—289 गली न. 3 तिलक नगर भरतपुर तहसील भरतपुर
3—दीवानसिंह पुत्र सावधन जाति जाट निवासी नौरंगपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा
4—पीतमसिंह पुत्रगण सावधान जाति जाट निवासी नौरगपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा
5— सोना पत्नि सावधान जाति निवासी नौरंगपुर तहसील खैरागढ जिला आगरा

.......असल अप्रार्थीगण

6— मोहन सिंह पुत्र रुप सिंह जाति जाट निवासी नगला झारा तहसील बयाना

.......तरतीवी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत मुन्तकिली विरुद्व उपखण्ड अधिकारी बयाना श्री संतोष मीणा,आर.ए.एस मीणा बाबत दावा संख्या 113 / 12 भंवरसिह बनाम सावधान वगे.

उपस्थित :—
1—श्री प्रमोद कुमार उपमन अभिभाषक प्रार्थी0
2—श्री मंजीत सिह सोगरवाल अभिभाषक अप्रार्थी0

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 11.12.2017</u>

प्रार्थी0 ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्व अप्रार्थीयान इस आश्य का पेश किया गया है कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण एसडीओ बयाना के न्यायालय में विचाराधीन है। उपखण्ड अधिकारी बयाना से न्याय मिलने की उम्मीद नही

........2

है अप्रार्थीगण एस.डी.ओ. से मिल गये हैं। उपखण्ड अधिकारी बयाना के न्यायालय विचाराधीन दावा को किसी दीगर न्यायालय में को मुन्तकिल किये जाने की प्रार्थना की गई है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी की गई। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी बयाना से टिप्पणी तलब की गई। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। एस.डी.ओ. बयाना से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया गया। उपखण्ड अधिकारी बयाना ने अपनी टिप्पणी में आरोपों से इन्कार करते हुये अंकित किया है कि विचाराधीन दावा को किसी दीगर न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :—

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाता है। उपखण्ड अधिकारी बयाना में विचाराधीन दावा संख्या 113/12 भंवरसिह बनाम सावधान वगे. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर के यहाँ मुन्तकिल किया जाता है। निर्णय की प्रति न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भरतपुर/बयाना को पालनार्थ प्रेषित की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ.एन.के.गुप्ता)
जिला कलक्टर
भरतपुर

Web Copy - Not Official